

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275227
SG-DL-E-05082026-275227असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 149
No. 219]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948	[N. C. T. D. No. 149

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (डीओपी) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अगस्त, 2026

फा. सं. 11/44/गृह-डीओपी/2026/656-669.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 03.06.2026 के अपने पत्र के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर मकोका अधिनियम की धारा 3 74, पुलिस थाना तिलक नगर, दिल्ली के अंतर्गत केस एफआईआर संख्या 74/2026 के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
1.	उपस्थिति शुल्क (प्रभावी)	रुपये 50,000/-
2.	उपस्थिति शुल्क (गैर-प्रभावी)	रुपये 25,000/-
3.	सहयोगी उपस्थिति शुल्क	रुपये 10,000/-
4.	सम्मेलन/परामर्श शुल्क	रुपये 20,000/-
5.	याचिका/संशोधन प्रारूपण, आदि	रुपये 1,00,000/-

6.	प्रारूपण शुल्क प्रति आवेदन	रुपये 25,000 /—
7.	आवेदन का उत्तर आदि	रुपये 25,000 /—
8.	लिपिकीय	कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एल0 के0 गौतम, उप सचिव (गृह—डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th August, 2026

F. No. 11/44/H-DOP/2026/656-669.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the State before the Ld. Trial Court in the matter of case FIR No. 74/2026, U/s 3 74 MCOC Act, P.S Tilak Nagar, Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 03.06.2026:—

S. No.	Detail of work	Proposed Fee
1	Appearance fee (effective)	Rs. 50,000/-
2	Appearance fee (non-effective)	Rs. 25,000/-
3	Appearance fee for associate	Rs. 10,000/-
4	Conference/consultation fee	Rs. 20,000/-
5	Drafting Petition/ Revision etc.	Rs. 1,00,000/-
6	Drafting fee per application	Rs. 25,000/-
7	Reply to application and etc	Rs. 25,000/-
8	Clerkage	10% of the total bill amount

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-DOP)